

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
का  
महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)  
पर प्रतिवेदन**

**31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए**

**झारखण्ड सरकार  
वर्ष 2013 का प्रतिवेदन संख्या 4**

## विषय सूची

कंडिका	विषय	पृष्ठ सं.
	प्राक्कथन	vii
	कार्यकारी सारांश	ix
<b>अध्याय 1: प्रस्तावना</b>		
1.1	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (मनरेगा)	1
1.2	संगठनात्मक ढाँचा	1
1.3	लेखापरीक्षा उद्देश्य	2
1.4	लेखापरीक्षा मानदण्ड	3
1.5	लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र एवं कार्य प्रणाली	3
1.6	अंकेक्षण द्वारा बाधाओं का सामना	4
<b>अध्याय 2: क्षमता निर्माण</b>		
2.1	प्रस्तावना	5
2.2	राज्य रोजगार गारन्टी योजना (एस.ई.जी.एस.)	5
2.3	राज्य रोजगार गारन्टी परिषद (एस.ई.जी.सी)	6
2.4	मानव संसाधन विकास	6
	2.4.1 मानव शक्ति का लगाना	6
	2.4.2 तकनीकी सहायता	7
	2.4.2.1 अधिकृत अभियंताओं के पैनल का गठन न होना	7
	2.4.3 प्रशिक्षण	8
	2.4.3.1 कर्मचारियों के प्रशिक्षण में कमी	8
	2.4.3.2 मेटों को प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जाना	8
2.5	निष्कर्ष	9
2.6	अनुशंसाएँ	9
<b>अध्याय 3: योजना परिकल्पना</b>		
3.1	योजना परिकल्पना	11
	3.1.1 जिला परिप्रेक्ष्य योजना	11
3.1.2	विकास योजनाएँ/वार्षिक कार्य योजनाएँ	12
	3.1.2.1 विकास योजनाओं का अनियमित निर्माण	12
	3.1.2.2 विलंब से विकास योजनाओं का पारित करना	13
	3.1.2.3 विशिष्ट पहचान संख्या के बिना लिए गए कार्य	14

	3.1.2.4	ग्राम सभा के अनुशंसा के बिना लिए गए कार्य	14
3.2		निष्कर्ष	15
3.3		अनुशंसाएँ	16
<b>अध्याय 4: वित्तीय प्रबन्धन</b>			
4.1		वित्तदायी प्रतिरूप	17
	4.1.1	निधियों की विमुक्ति	17
4.1.2		श्रम बजट	17
	4.1.2.1	श्रम बजट का अवास्तविक निर्माण	18
	4.1.2.2	वार्षिक श्रम बजट के निधियों में तीव्र हास	19
	4.1.2.3	केन्द्रीय निधि की हानि	20
4.1.3		निधियों की प्राप्ति एवं उपयोग	21
	4.1.3.1	राज्यांश की विमुक्ति में विलम्ब	22
	4.1.3.2	राज्य रोजगार गारंटी निधि (रा.रो.गा.नि.) का सृजन नहीं किया जाना	22
	4.1.4	मनरेगा के साथ एस.जी.आर.वाई. निधियों का विलय नहीं हुआ	23
	4.1.5	निधि का विचलन	24
	4.1.6	निधियों का ब्याज रहित खातों में रखाव	24
	4.1.7	निधियों के प्रबंधन में पारदर्शिता एवं सत्यता	25
	4.1.8	वित्तीय प्रबंधन में अन्य अनियमितताएँ	28
4.2		निष्कर्ष	29
4.3		अनुशंसाएँ	30
<b>अध्याय 5: निबंधन एवं रोजगार</b>			
5.1		निबंधन	31
	5.1.1	सर्वेक्षण का अभाव	31
5.2.		जॉब कार्ड एवं जॉब कार्ड पंजी	32
	5.2.1	जॉब कार्ड में कमियाँ एवं जॉब कार्ड पंजी का अनियमित अनुरक्षण	32
	5.2.2	संदेहास्पद जॉब कार्ड एवं फर्जी निबंधन	35
5.3		रोजगार	36
	5.3.1	रोजगार का प्रावधान का नहीं होना तथा 100 दिनों के रोजगार के सृजन में कमियाँ	37
5.4		निष्कर्ष	38
5.5		अनुशंसाएँ	38

<b>अध्याय 6: मस्टर रोल तथा मजदूरी का भुगतान</b>			
6.1		मस्टर रोल	39
	6.1.1	मस्टर रोलों में अनियमितताएं	39
6.2		मजदूरी का भुगतान	42
	6.2.1	मजदूरी का भुगतान न होना	43
	6.2.2	मजदूरी भुगतान में विलम्ब	43
	6.2.3	श्रमिकों को मजदूरी का कम भुगतान	44
	6.2.4	मेटों को मजदूरी का कम भुगतान	45
	6.2.5	एकाधिक जॉब कार्ड का एक खाते में मजदूरी का भुगतान	45
	6.2.6	बिना मजदूरी पर्ची निर्गत किए मजदूरी का भुगतान	46
6.3		रोजगार सृजन	47
	6.3.1	बेरोजगारी भत्ता का भुगतान न होना	47
6.4		निष्कर्ष	47
6.5		अनुशंसाएँ	47
<b>अध्याय 7: योजनाओं का कार्यान्वयन</b>			
7.1		कार्यों का कार्यान्वयन	49
	7.1.1	मजदूरी सामग्री अनुपात का उल्लंघन	49
	7.1.2	अग्राह्य कार्य का कार्यान्वयन	51
	7.1.3	अवमानक कार्य का कार्यान्वयन	51
	7.1.4	वगैर उद्धरण/निविदा सामग्री का क्रय	55
	7.1.5	अपव्ययी खर्च	56
	7.1.6	प्राक्कलित राशि से ज्यादा व्यय	57
	7.1.7	बिना मापी के कार्य का कार्यान्वयन	57
	7.1.8	सृजित परिसम्पत्तियों का असंधारण	58
	7.1.9	वृक्षारोपण कार्य का रख-रखाव	58
	7.1.10	अपूर्ण योजना	59
7.1.11		बिक्री कर एवं रॉयल्टी की नहीं या कम कटौती	60
	7.1.11.1	रॉयल्टी की नहीं/कम कटौती	60
	7.1.11.2	बिक्री कर की कटौती न होना	61
	7.1.11.3	कोषागार में राजस्व का जमा नहीं किया जाना	61
7.2		निष्कर्ष	62
7.3		अनुशंसाएँ	62
<b>अध्याय 8: पर्यावरण सुरक्षा और सामाजिक पहलू</b>			
8.1		पर्यावरण सुरक्षा	63

	8.1.1	भूमिगत जलस्तर में गिरावट	63
	8.1.2	अवैध खनन से सामग्री की अनियमित प्राप्ति	64
8.2		सामाजिक पहलू	64
	8.2.1	सामाजिक समानता प्रोत्साहित करने के लिए अनु.जाति, अनु.ज.जा. और महिलाओं का प्रतिनिधित्व	65
	8.2.2	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	65
8.3		निष्कर्ष	66
8.4		अनुशंसाएँ	66
<b>अध्याय 9: अभिसरण</b>			
9.1		मनरेगा योजना का दूसरे कार्यक्रमों के साथ अभिसरण	67
	9.1.1	भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र (भा.नि.रा गा से के.) का निर्माण	67
9.2		निष्कर्ष	69
9.3		अनुशंसा	69
<b>अध्याय 10: अनुश्रवण एवं मूल्यांकन</b>			
10.1		अनुश्रवण	71
	10.1.1	कार्यों का निरीक्षण	71
	10.1.2	राज्य एवं जिला गुणवत्ता अनुश्रवक	72
	10.1.3	शिकायतों का धीमा निपटान	72
	10.1.4	नागरिक अधिकार पत्र	73
10.1.5		सामाजिक लेखापरीक्षा	74
	10.1.5.1	जिला आंतरिक लेखापरीक्षा कोषांग का गठन नहीं होना	75
	10.1.6	अक्रियाशील उच्च स्तरीय अन्तर्विभागीय समन्वयन समिति	75
	10.1.7	ग्रामसभा के कार्यवाही का वीडियो दस्तावेजीकरण	76
10.1.8		अभिलेखों का अनियमित संधारण	76
	10.1.8.1	अभिलेखों में विसंगतियाँ	76
10.1.9		अनुश्रवण सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.)	77
	10.1.9.1	अनुश्रवण सूचना प्रणाली में कमियाँ	77
10.2		मूल्यांकन	77
	10.2.1	प्रभाव निर्धारण	77
	10.2.2	त्रुटि संकेतों की संवेदनशीलता	78

10.3		निष्कर्ष	78
10.4		अनुशासार्ण	79
<b>परिशिष्ट</b>			
<b>परिशिष्ट</b>	<b>कंडिका:</b>	<b>विषय</b>	<b>पृष्ठ.</b>
1	1.6	अभिलेखों के असंधारण/दोषपूर्ण संधारण को दर्शायी गई विवरणी	81
2	2.4.1	जिलों में अधिकारियों की कमी को दर्शायी गई विवरणी	83
3	3.1.2.2	जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के प्रबंध परिषद द्वारा विकास योजना के अनुमोदन में विलंब की विवरणी	84
4	4.1.3	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण राँची में निधि की कम प्राप्ति दर्शायी गई विवरणी	85
5	4.1.3.1	राज्यांश की विमुक्ति में विलंब दर्शायी गई विवरणी	86
6	6.2.2	मजदूरी भुगतान में विलंब दर्शायी गई विवरणी	87
7(अ)	7.1	राज्य में पूर्ण कार्यों की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी	88
7(ब)	7.1	छ: नमूना जाँच जिलों में पूर्ण कार्यों की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी	88
8(अ)	7.1.1	नमूना जाँच जिलों में मजदूरी, सामग्री अनुपात में उल्लंघन दर्शायी गई विवरणी	89
8(ब)	7.1.1	नमूना जाँच प्रखण्ड एवं ग्राम पंचायतों में मजदूरी, सामग्री अनुपात में उल्लंघन दर्शायी गई विवरणी	89
9	7.1.2	अग्राह्य कार्यों को दर्शायी गई विवरणी	90
10	10.1.8.1	प्रारंभिक एवं अंतिम शेष में विविधता को दर्शायी गई विस्तृत विवरणी	91
11	10.1.9.1	अनुश्रवण सूचना तंत्र में कमी दर्शायी गई विवरणी	92
<b>शब्दावली</b>			93